न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 6/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022/2

उनवान

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट्स
1. तीजो उर्फ बबली पत्नी रामलाल 2. हिम्मत पुत्र प्रकाश 3. विनोद पुत्र प्रकाश अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक दादी अपीलाण्ट 1 तीजो उर्फ बबली समस्त जातिगण भील निवासीगण सेवटो का बेरा, सादडी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.	बनाम	1. राधा पत्नी महेन्द्रजी (पूर्व पत्नी प्रकाशजी) जाति भील निवासी मुण्डारा, तहसील बाली जिला पाली राज. 2. तहसीलदार महोदय देसूरी जिला पाली राज.

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1176 दिनांक 22.12.2021 जिसे तहसीलदार भू–अभिलेख देसूरी द्वारा पारित कर ग्राम छोड़ा के खसरा नम्बर 591 बाबत पारित किया गया।

–:निर्णय:–

उपस्थिति :– अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित

दिनांक: 14.06.2024

अपीलांट ने एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध म्यूटेशन संख्या 1176 दिनांक 22.12.2021 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम छोड़ा के हाल खसरा नंबर 591 रकबा 1.1600 हैकटेयर मृतक प्रकाश पुत्र रामा राम जाति भील के खातेदारी की काश्त में कब्जा सुद दर्ज थी उक्त खातेदार प्रकाश का दिनांक 28 सितंबर 2016 को देहांत हो गया। प्रकाश के देहांत के समय उसके विधिक वारिसान अपीलांट संख्या एक माता अपीलांट संख्या 2 व 3 नाबालिग पुत्र और रेस्पोंडेंट संख्या एक पत्नी जीवित थे। मृतक प्रकाश की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद रेस्पोंडेंट संख्या एक ने महेंद्र भील के साथ पुनर्विवाह कर लिया और दोनों नाबालिग पुत्रों को अपीलांट संख्या एक के पास छोड़कर दूसरे पति के साथ हमेशा के लिए चली गई। जो आज भी दूसरे पति के साथ ही निवास कर रही है। दूसरी शादी के बाद रेस्पोंडेंट के दो संताने विशाल और महावीर का जन्म हुआ इस प्रकार से पति की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा तुरंत ही दूसरा विवाह कर लिए जाने पर अनुसूचित जाति के रीति रिवाज रूढि और प्रथा अनुसार मृतक की संपत्ति में पत्नी का विधिक रूप से कोई हक हकूक अधिकार नहीं रहता है और किसी प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने की अधिकारी नहीं रहती है। इसी प्रकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों अनुसार भी रेस्पोंडेंट संख्या एक मृतक की संपत्ति में कोई हक हकूक अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

रेस्पोंडेंट संख्या एक ने रेस्पोंडेंट संख्या दो एवं पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक इत्यादि से मिलावट और साजिश करते हुए जैर अपील म्यूटेशन स्वयं के नाम और अपीलांट संख्या दो व तीन दोनों नाबालिग पुत्रों की स्वयं संरक्षक बनकर मृतक पति प्रकाश की पत्नी होना बताते हुए दायर करवा कर स्वीकृत करवा दिया। जो मृतक खातेदार पूर्व पति की मृत्यु के करीब 5 साल बाद में भरवाया गया जिससे जेर अपील म्यूटेशन पारित किया गया उस समय रेस्पोंडेंट संख्या एक पुनर्विवाह के बाद दूसरे पति के साथ निवास कर रही थी और दूसरे पति के रहवास सहवास से उसके दो संतान पुत्र विशाल और महावीर का जन्म हो चुका था ऐसी स्थिति में न तो रेस्पोंडेंट संख्या एक अपीलांट संख्या दो वह तीन की विधिक प्राकृतिक संरक्षक रही है न ही मृतक की संपति अपने नाम करवाने की अधिकारी रही है। लेकिन सारी कार्रवाई साजिश के तहत नाबालिग पुत्रों का हक हकुक अधिकार हड़प करने की नीयत से तथा अपीलांट संख्या एक जो मृतक की माता है को अपने मृतक संतान की संपत्ति से प्राप्त होने वाले हक अधिकार का हिस्से

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

CamScanner

से वंचित करने के लिए अपीलाधिन म्यूटेशन पारित करवा दिया जो अवैध शून्य और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की विपरीत है।

खातेदार प्रकाश की मृत्यु के बाद से लगातार आज दिन तक अपीलांट संख्या दो या तीन अपीलांट संख्या एक जो कि रिश्ते में सगी दादी लगती है के पास ही रहते हैं उनका लालन-पालन भरण पोषण सभी दादी अपीलांट संख्या एक द्वारा ही किया जा रहा है। अपीलाधीन म्यूटेशन अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की विपरीत जाकर तथा अनुसूचित जाति की रिवाज प्रथा रूढि के विपरीत जाकर पुनर्विवाह के पश्चात पत्नी रेस्पोंडेंट संख्या एक के नाम पारित कर दिया जो अवैध शून्य और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विपरीत होने से अपास्त योग्य है अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फर्मावे तथा जेर अपील म्यूटेशन अपास्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज किया जाकर रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी किए गए।अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खातेदार प्रकाश की मृत्यु दिनांक 28.9.2016 को हुई थी उसके विधिक वारिसान माता पत्नी व नाबालिग पुत्र थे। प्रकाश की मृत्यु के कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी राधा ने दूसरा विवाह महेंद्र कुमार पुत्र भंवरलाल के साथ कर लिया एवं अपने पुत्रों को उनकी दादी के पास छोड़कर दुसरे पति के साथ चली गई। रेस्पोंडेंट राधा को दूसरे विवाह के बाद तीन संताने हुई जिनकी जन्म तिथि 2 जनवरी 2019, 7 फरवरी 2021 एवं 13 सितंबर 2022 है जिनके जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिया पेश की गई है। उक्त जन्म प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट राधा ने दूसरे विवाह से पैदा हुए पुत्र विशाल जन्मतिथि 2 जनवरी 2019 से पूर्व दूसरा विवाह कर लिया था उक्त विवाह के पश्चात अपीलाधिन म्यूटेशन द्वारा अपना एवं दो नाबालिग बच्चों का संरक्षक बनते हुए स्वीकृत कराया जबकि उक्त म्यूटेशन स्वीकृत होने के दो-तीन वर्ष पूर्व ही राधा ने दूसरा विवाह कर लिया था साथ ही अपीलाधीन म्यूटेशन के समय मृतक की माता प्रथम श्रेणी की वारिसान जीवित होते हुए भी अपीलांट तीजों का नाम वारिसान के रूप में म्यूटेशन में दर्ज नहीं किया। दोनों नाबालिग बच्चे अपनी दादी के पास रह रहे हैं एवं उनका लालन-पालन भी दादी द्वारा किया जा रहा है ऐसी स्थिति में भी उक्त म्यूटेशन में रेस्पोंडेंट संख्या एक राधा उनकी कुदरती वली दर्ज किया गया जो गलत है। रेस्पोंडेंट संख्या एक राधा ने भू माफियाओं के साथ मिलकर उक्त जमीन को नाबालिग बच्चों की संरक्षक बनकर बिना आधिपत्य के विक्रय कर दिया जो अवैध एवं शून्य है क्योंकि प्रथम श्रेणी की वारिस मृतक की माता अपीलांट जीवित होने से 1/4 हिस्सा उसका विधिक रूप से बनता है उस हद तक म्यूटेशंस अवैध व शून्य है। म्यूटेशन से अपीलांट के हक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। रेस्पोंडेंट राधा द्वारा पुनर्विवाह करने के बाद उसका उपरोक्त भूमि में कोई हक अधिकार हिस्सा न तो शेष रहता है न ही शेष है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2011 (2) RRT 765, 2007(1) RRT 733,1995 आरडी 181 पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो के अनुसार विधवा के पुनर्विवाह के बाद पूर्व मृत पति की संपति में किसी प्रकार का हिस्सा हक प्राप्त करने की अधिकारी नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन म्यूटेशन अवैध एवं शून्य बिना अधिकारिता के होने से निरस्त योग्य है।

अपील देरीना बाबत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पूर्व में न तो जानकारी थी न हीं उक्त म्यूटेशन अपील करने बाबत विधिक सलाह दी गई। उक्त सलाह देते ही बिना देरी के अपील पेश की गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मंडल द्वारा अनेक निर्णय में यह अभिलिखित किया गया है की धारा 5 मीयाद अधिनियम के आवेदन को निर्णित करने से पूर्व प्रकरण का मेरिट पर परीक्षण करना आवश्यक है तथा प्रकरण में मेरिट पर ठोस तथा सफल होने योग्य हो तो प्रकरण को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं कर मेरिट पर निर्णित करना चाहिए। न्यायिक दृष्टांत 2018-19 RRT 145,2024 (1)RRT 82, 2022 (1)RRT 493 पेश कर निवेदन किया कि अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील को मेरिट पर स्वीकार किए जाने का निवेदन है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह भी निवेदन किया कि अवैध व शून्य म्यूटेशन के आधार पर भूमि विक्रय की जाती है तो ऐसा विक्रय पत्र अवैध व शून्य होता है उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती देने और निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं है। तथा ऐसे म्युटेशन के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन दर्ज कर इंद्राज किए जाते हैं तो ऐसे म्यूटेशन व इंद्राज अवैध व शून्य है उक्त अवैध व शून्य

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

विक्रय पत्रों में वर्णित क्रेता को पक्षकार बनाए जाना भी आवश्यक नहीं है इसलिए उक्त प्रकरण में क्रेता किसी भी रूप में आवश्यक पक्षकार नहीं है। इस संबंध में अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2007 आरडी पेज 837, 2012 आरडी पृष्ठ 422 पेश किया।

रेस्पोंडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे विधि अनुसार म्यूटेशन पारित होना बताया लेकिन अपीलांट संख्या एक मृतक प्रकाश की माता को जीवित होना तथा अपीलांट संख्या दो व तीन रेस्पोंडेंट के पुनर्विवाह के बाद अपीलांट संख्या 2 व 3 दादी के संरक्षण में होना स्वीकार किया। विद्वान अधिवक्ता ने महेंद्र के साथ पुनर्विवाह करना तथा उनसे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र अनुसार संताने उत्पन्न होना स्वीकार किया साथ ही बताया कि उसे धोखे में रखकर विक्रय पत्र करवाया है उसको न तो प्रतिफल मिला न हीं भूमि का कब्जा क्रेता को दिया है क्योंकि भूमि अपीलांट के कब्जे में है।

प्रस्तुत अपील, दस्तावेज़ात, उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं प्रस्तुत किए गए न्यायिक दृष्टांतों का गंभीरता से अवलोकन अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि खातेदार प्रकाश की मृत्यु दिनांक 28 सितंबर 2016 के समय मृतक के प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलांट संख्या एक तीजों माता अपीलांट संख्या 2 व 3 नाबालिग पुत्र तथा रेस्पोंडेंट संख्या एक राधा जीवित थे लेकिन म्यूटेशन संख्या 1176 दिनांक 22 दिसंबर 2021 को केवल पत्नी एवं नाबालिग पुत्र हिम्मत व विनोद के नाम ही स्वीकृत किया जबकि माता जीवित थी ऐसी स्थिति में उपरोक्त म्यूटेशन प्रथम दृष्टया अवैध व शून्य साबित है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या एक द्वारा उक्त म्यूटेशन संख्या 1176 दिनांक 22 दिसंबर 2021 से पूर्व महेंद्र के साथ पुनर्विवाह कर लिया था क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या एक राधा एवं महेंद्र की विवाह से तीन संताने पैदा हुई है इस प्रकार म्यूटेशन स्वीकृत होने से पूर्व ही दो संताने जन्म हो चुकी होने से पुनर्विवाह म्यूटेशन पारित होने से पूर्व होना सिद्ध है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2011 (2)RRT 765 में यह अभिनिर्धारित किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 के अनुसार पुनर्विवाह के बाद विधवा को पूर्व पति की संपत्ति में अधिकार नहीं है 2007 (1)RRT 733 में यह अभिनिर्धारित किया है कि हिंदू विधवा के पुनर्विवाह पर वह पति की संपत्ति में सभी अधिकार खो देती है उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों से स्पष्ट है कि पुनर्विवाह के बाद पत्नी अपने पति की संपत्ति में सभी अधिकार खो देती है तथा मृतक पति की संपत्ति में हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होती है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चश्पा होते हैं। इस प्रकार अपीलाधीन म्यूटेशन अवैध एवं शून्य है।

अतः अपील स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधिन म्युटेशन संख्या 1176 दिनांक 22 दिसंबर 2021 ग्राम छोड़ा तहसील देसूरी को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार देसूरी को इन निर्देशों के साथ रिमांड किया जाता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार पूर्ण जांच उपरांत मृतक प्रकाश के विरासत का म्यूटेशन दायर किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली, जिला पाली